



2026:AHC: 172832

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएस की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1662 वर्ष 2026

सरवतुल्लाह खान उर्फ अकरम कातिब

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : बदुल मजीद, सैयद मोहम्मद फारूक

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जावेद हबीब, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक द्वारा थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत में बीएनएस की धाराओं 318(4), 316(2), 352, 351(2) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 132 वर्ष 2025 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 8892 वर्ष 2025 की संपूर्ण कार्यवाहियों के साथ-साथ आरोप-पत्र दिनांक 22-05-2025 और संज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 14-08-2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि संपूर्ण आरोप झूठे और निराधार हैं और आवेदक ने विपक्षी संख्या 2 को न तो धोखा दिया है और न ही धमकी दिया है। विवेचना के दौरान, सूचनादाता और उसके पति, अर्थात् सैयद मोहसिन हसन के बयान बीएनएस की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने एफआईआर के वृत्तांत को दोहराया। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एफआईआर दर्ज करने में लगभग चार वर्ष का स्पष्टीकरण रहित विलंब है, जो इंगित करता है कि आरोप बाद की सोच हैं और आवेदक को उचित विचार-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विमर्श के पश्चात झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 एक प्रॉपर्टी डीलर है और उसने कई विक्रय पत्रों का निष्पादन किया था, और आवेदक, एक विलेख लेखक होने के नाते, ने पूर्वोक्त विक्रय पत्र तैयार किए थे। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एक लेन-देन में, बिक्री प्रतिफल विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदक के खाते में स्थानांतरित किया गया था, जिसमें से आवेदक ने मेसर्स रामेश्वरम बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर और मोहम्मद यासीन कादरी को राशि का भुगतान किया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विवाद, यदि कोई हो, पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और आवेदक को परेशान करने के परोक्ष उद्देश्य से इसे आपराधिक रंग दिया गया है।

4. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ ए.जी.ए. ने आवेदन का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता, दुर्बलता या अनौचित्य से ग्रस्त नहीं हैं। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि तथ्यों की सत्यता का न्यायनिर्णयन इस न्यायालय द्वारा द.प्र.सं. की धारा 482 / बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत एक आवेदन में नहीं किया जा सकता है और इसे केवल अवर न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान ही परखा जा सकता है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अवर न्यायालय ने आवेदक को उचित रूप से तलब किया है और आक्षेपित आदेशों के साथ-साथ चल रही कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. एफआईआर और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से, ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनादाता ने अभिकथन किया था कि जनवरी, 2021 में, आवेदक ने प्रतिनिधित्व किया था कि वह उसके लिए उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करेगा और, उसके अनुसरण में, ग्राम पिपरिया भागू में स्थित कृषि भूमि की खरीद का सौदा लगभग 14,00,000/- रुपये के प्रतिफल के लिए तय किया गया था, जिसके विरुद्ध सूचनादाता ने 24.02.2021 को इंडियन बैंक से आरटीजीएस के माध्यम से आवेदक के खाते में 8,00,000/- रुपये की राशि स्थानांतरित किया था। यह आगे अभिकथन किया गया है कि पूर्वोक्त राशि प्राप्त होने के बावजूद, आवेदक ने सूचनादाता के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं किया और इसके बजाय, कुछ दिनों के भीतर, कथित तौर पर सूचनादाता द्वारा भुगतान किए गए धन का उपयोग करते हुए, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2021 के माध्यम से अपने पुत्रों, अर्थात् अरीब अली खान और अली साद खान के नाम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर उक्त भूमि खरीद ली। एफआईआर में आगे यह अभिकथन शामिल है कि जब सूचनादाता ने अपना धन वापस मांगा, तो आवेदक ने किसी न किसी बहाने से उसे टाला और, 25.02.2025 को, सूचनादाता के पति को गाली दी और गंभीर परिणामों की धमकी दिया। इस प्रकार, अभिकथन विशेष रूप से एक विशेष प्रयोजन के लिए आरटीजीएस के माध्यम से 8,00,000/- रुपये की प्राप्ति और उसके पश्चात अपने पुत्रों के नाम पर भूमि खरीदने के लिए इसके उपयोग को आवेदक से जोड़ते हैं। इस स्तर पर, आरटीजीएस के माध्यम से राशि के हस्तांतरण के तथ्य और उसके बाद 01.03.2021 के लेन-देन के तथ्य के साथ जुड़े इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और प्रथम दृष्टया विचार की आवश्यकता है। क्या राशि आवेदक को सूचनादाता के लिए भूमि खरीदने के लिए सौंपी गई थी, क्या आवेदक ने बेईमानी से इसका उपयोग अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए या अपने पुत्रों के नाम पर भूमि खरीदने के लिए किया था, और क्या आरोपित कृत्य विचाराधीन अपराधों का गठन करते हैं, ये ऐसे मामले हैं जिनमें साक्ष्य के मूल्यांकन की आवश्यकता है और द.प्र.सं. की धारा 482 / बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दीवानी उपचार की मात्र उपलब्धता, अपने आप में, आपराधिक अभियोजन को बाधित नहीं करती है जहां अभिकथन, उनके प्रथम दृष्टया रूप में लिए जाने पर, किसी आपराधिक अपराध के किए जाने का खुलासा करते हैं।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 सप्प (1) एससीसी 335** के वाद में उन दिशा-निर्देशों को निर्धारित किया है कि किन परिस्थितियों में न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति में द.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत एक आवेदन पर विचार करना चाहिए। दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

"(i) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में किए गए अभिकथन, भले ही उन्हें उनके प्रथम दृष्टया रूप में लिया जाए और उनकी समग्रता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनाते हैं।

(ii) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों, यदि कोई हो, में किए गए अभिकथन किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत अन्वेषण को न्यायोचित ठहराते हों।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) जहां एफआईआर या शिकायत में किए गए निर्विवाद अभिकथन और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(iv) जहां, एफआईआर में अभिकथन किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल एक असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी विवेचना की अनुमति नहीं है।

(v) जहां एफआईआर या शिकायत में किए गए अभिकथन इतने बेतुके और अंतर्निहित रूप से असंभावित हैं जिसके आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति कभी इस उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(vi) जहां कार्यवाहियों के संस्थापन और निरंतरता के लिए संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत एक आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है) के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट विधिक रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो व्यथित पक्षकार की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(vii) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के परोक्ष उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से संस्थित की गई हो।"

7. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2021 एससी 1918, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (आपराधिक) 192, और अंत में, झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. शराफुल हक और एक अन्य (प्रस्तर-10) 2005 एससीसी (आपराधिक) 283 के वादों में अभिनिर्धारित किया है कि केवल वे मामले जिनमें कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, द.प्र.सं. की धारा 482 / बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत एक आवेदन में विचार किए जा सकते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. वर्तमान आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नहीं आता है, जिनका अनेक मामलों में अनुसरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से तथ्य अभिकथित किए गए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि, प्रथम दृष्टया, आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। साक्ष्य और विचारण के पश्चात ही यह देखा जा सकता है कि अभिकथित अपराध किया गया है या नहीं किया गया है।

9. अतः, बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत दाखिल वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

17 अगस्त, 2026

पीकेएस